<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 36/2020 जिला भीलवाड़ा

1. श्री फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

–अपीलांट

बनाम्

1. कुन्दनी पत्नि रामेश्वर जाति चमार उम्र बालिग निवासी सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 41/2014(आंवटन निरस्तरीकरण) निर्णय दिनांक 16.05.2016

उपस्थित अभिभाषकः–श्री रतनलाल वैष्णव (अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–उपस्थित
राजकीय अभिभाषकः–उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः–06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में दिनांक 07.12.2004 को रेस्पोडेंट संख्या 1 कुन्दनी को खसरा नम्बर 12712237 रकबा 19 बिस्वा बिलानाम भूमि भू–आवंटन कमिटी द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त खसरा नम्बर से जुड़ा हुआ खसरा नम्बर अपीलांट का खसरा नम्बर 237/1270 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि है। विवादित भूमि 1271/237 पर अपीलांट ने अपना कब्जा बताया तथा पैनाल्टी की राशि पूर्व में जमा कराना भी अपील मीमौ में बताया है। मगर आवंटन कमिटी द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस दिये बिना गुपचुप तरीके से नियमों के विपरीत छल एवं मिथ्याप्रकटीकरण से रेस्पोडेंट संख्या 1 को बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये, उसके नाम आवंटन कर गलती की है। अपीलांट ने इस आवंटन को छोटी पट्टी भूमि आवंटन माना है तथा यह कहा है कि उक्त भूमि को अपीलांट ही आवंटित ही करवा सकता था। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन से व्यथित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रयोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण संख्या 41/2014 दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 16.05.2016 से अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया गया तथा आवंटन को यथावत रखा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा तत्समय आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में अपील दर्ज की गयी। राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में उक्त अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। अपील के निम्न आधार बताये गये है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पोडेंट संख्या 1 का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं है।

2. आवंटित भूमि छोटी पट्टी क रूप में होकर उदघोषणा होकर आवंटित की जानी चाहिए थी। जो नहीं किया गया है। आवंटन में कई तकनीकी कमियां है।

3. हमे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है। अपील स्वीकार की जाये। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन को निरस्त किया जाये।

बहस उभयपक्ष वकील सुनी गई। बहस में अपीलांट वकील ने बताया कि छोटी पट्टी भूमि का आवंटन का मामला है। हमे मिलनी चाहिए थी। क्योकि इससे चिपकी हुई हमारी भूमि थी। भूमि आवंटन के हस्ताक्षर पर कुन्दनी के हस्ताक्षर नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने हमारी अपील को बहुत देरी से प्रस्तुत किया जाना माना। गलत प्रकार से भूमि आवंटन प्राप्त करने पर देरी का नियम लागू नहीं होता है। आवंटन पति–पत्नि के नाम होना चाहिए था। कब्जा हमारा है। बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि उक्त आवंटन प्रशासन गांवों के संग अभियान में किया गया। फॉर्म को भरने में पटवारी ने सहायता की थी। 19 बिस्वा भूमि छोटी पट्टी के रूप में नहीं मानी जायेगी। हम भूमिहीन है तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं हो सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5,12,14 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार वह माह अप्रैल में अहमदाबाद गया हुआ था। मोबाईल फोन खो गया जिस वजह से अपने अधिवक्ता से कोई सम्पर्क नहीं कर पाया तथा अपीलाधीन निर्णय की उसे जानकारी नहीं हो पाई। अहमदाबाद में बीमार भी हो गया। ठीक होकर जब वह वापस अपने निवास स्थान पर आया तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। दिनांक 29.07.2016 को नकल प्राप्त कर शीघ्र अपील प्रस्तुत करने की तैयारी की तथा शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2016 का है। जानकारी दिनांक 28.07.2016 के बाद दिनांक 29.08.2016 को उक्त अपील तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अतः जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलाधीन आदेश के बाद से रेस्पोडेंट संख्या 1 विवादित भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर व भूमि को खुर्दबुर्द, अंतरित करने का आमादा हो रखा है। इसे रोका जाये अन्यथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें तथा अपीलांट के कब्जे में दखल ना करें। अपीलांट ने अपील के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 41/2014 दिनांक 16.05.2016 का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन होने के बाद नामातंरण संख्या 1333 दिनांक [illegible].2010 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदारी दी जा चुकी है। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि आवंटित भूमि छोटी पट्टी के रूप में थी तथा सिर्फ अपीलांट की खातेदारी भूमि उससे चिपकी हुई भूमि थी। अतः उसे आवंटित की जानी चाहिए। छोटी पट्टी के जो नियम है उसके मुताबिक जब दो से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

अधिक खातेदारों की भूमि के बीच कोई छोटी पट्टी भूमि है तो उसे निलामी के द्वारा आवंटित की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नक्शाट्रेस जो कि पटवारी सरेरी द्वारा दिनांक 15.05.2014 को जारी किया हुआ है। उसके अवलोकन से यह पता लगता है कि आवंटित खसरा नम्बर 1268/237, खसरा नम्बर 237/1270 एक–दूसरे से चिपके हुए है। जमाबंदी संवत 2068–70 ग्राम सरेरी के अनुसार खसरा नम्बर 237/1270 अपीलांट के नाम दर्ज है। मगर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा उक्त विवादित भूमि के आवंटन हेतु कोई फॉर्म भरा गया अथवा नहीं। अपीलांट का यह मानना है कि उसे सूचित नहीं किया गया है। जबकि नियमों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है। जिसमें सभी अनाधिवासित कृषि भूमियों की सूची होती है। व्यक्तिगत सूचना दिये जाने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। अपीलांट का यह भी कहना है कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा है। इस बाबत उसने पैनाल्टी की रसीदे भी प्रस्तुत की है। मगर अपीलांट को ऐसी स्थिति में सिर्फ अतिक्रमी ही माना जा सकता है। जिसे समय–समय पर तहसीलदार द्वारा 91 की कार्यवाही के दौरान बेदखल किया जाता रहा है। अतिक्रमित कृषि भूमि को भी आवंटन योग्य अनाधिवासित कृषि भूमि के रूप में माना जाता है। अपीलांट को इस बात से कोई लाभ नहीं है। अपीलांट का मानना है कि उक्त भूमि को निलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव होता है जब ऐसी भूमि दो खातेदारो की भूमि के मध्य स्थित हो। मगर पत्रावली पर उपलब्ध नक्शाट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि दो खातेदारो की भूमि के मध्य स्थित नहीं है तथा उक्त भूमि हेतु सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा ही फॉर्म भरा गया। फतेह मोहम्मद के द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया। ऐसा पत्रावली के अवलोकन से पता लगता है। रेस्पोडेट संख्या 1 अनुसूचित जाति की सदस्या है तथा आवंटन हेतु प्राथमिकता श्रेणी में मानी जायेगी। अपीलांट का यह कहना है कि आवंटन पति–पत्नि के नाम से संयुक्त रूप से जारी होना चाहिए था। यह तब ही होता है जब फॉर्म भी संयुक्त पति–पत्नि के नाम से भरा जाता है। यदि फॉर्म सिर्फ महिला के नाम से भरा गया है तो आवंटन भी सिर्फ महिला के नाम से ही होगा। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में चूंकि खातेदारी प्रदान कर दी गई है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विवादित खसरा नम्बर के खातेदार चूंकि अनुसूचित जाति की महिला है। अतः अपीलांट को कोई अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते है। है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय अन्तर्गत प्रकरण संख्या 41/2014 अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 16.05.2016 प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम लघु सिचांई परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के नियम 17अ बउनवानी फतैहमोहम्मद बनाम कुन्दनी यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर